

प्रपत्र-II
नौका का निबंधन प्रमाण पत्र
(देखे नियम-3(क))

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
ग्राम थाना जिलाने घोषणा
किया है कि वे, नौका जिसे निबंधन संख्या आवंटित किया गया है, के एक मात्र
मालिक है । उक्त नौका(निर्माण स्थल) में द्वारा वर्ष में
निर्मित की गयी है तथा आदर्श नियमावली 2011 के अंतर्गत विधिवत निबंधित है ।
मेरे द्वारा आज दिनांक वर्ष 20 को प्रमाणित ।

आउट बोर्ड इंजन का विवरण :-

इंजन का मॉडल :-

अश्व शक्ति:-

निर्माण वर्ष:-

नाव का विवरण

लम्बाई चौड़ाई गहराई

सकल टनेज:-

मुक्तांश:-

विवरण:-

यात्रियों की अधिकतम संख्या:-

चलक दल का न्यूनतम संख्या:-

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पाद टिप्पण:-

- (1) निबंधन प्रमाण पत्र जिला पदाधिकारी के द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकार द्वारा मांगे जाने पर निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा ।
- (2) निरीक्षण प्राधिकार के द्वारा यथा निदेशित निबंधन प्रमाण पत्र निबंधन पदाधिकारी के समक्ष प्रत्यर्पित करना होगा ।
- (3) जब तक निबंधन प्रमाण पत्र प्रभावी है, तब तक नाव पर यथा चिन्हित या रंगा हुआ या खुदा हुआ निबंधन संख्या को न तो हटाया जाएगा और न ही अपरूपित किया जाएगा ।
- (4) दुर्घटना की अवस्था में किसी की मृत्यु होने पर या नाव के क्षमता में कमी होने पर नाव स्वामी या मांझी या नाविक के हस्ताक्षर से पत्र के द्वारा सूचना दुर्घटना होने के 24 घंटे के अंदर या यथाशीघ्र निबंधन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ।